Academic Deptt.

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

विद्या परिषद की पंचम (आपात) बैठक की कार्यवृत्त
दिनांक 03.03.2011

स्थान – विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्र रायपुर

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की पंचम (आपात) बैठक का कार्यवृत्त

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की विद्या परिषद् की पंचम (आपात) बैठक दिनांक 03.03.2011 को पूर्वान्ह 11:30 बजे विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र रायपुर में कुलपति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. **डॉ. ए. आर. चन्द्राकर** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़,
   बिलासपुर

2. प्रो. श्रीमती विभा जोशी – सदस्य
   निदेशक
   स्कल आफ एजुकेशन
   इंदिरा गाधी राष्टीय मुक्त विश्वविद्यालय
   नई दिल्ली

3. **श्री हरीश केडिया** – सदस्य
   अध्यक्ष
   छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ
   बिलासपुर (छ.ग.)
   (विद्या परिषद द्वारा उद्योग विषय विशेषज्ञ के रूप में मनोनीत)

4. **डॉ. अशोक पारेख** – सदस्य
   अध्यक्ष
   छ.ग.निजी विश्वविद्यालय विनायामक आयोग
   रायपुर (छ.ग.)

5. श्री बनवारी लाल अग्रवाल – सदस्य
   पूर्व उपाध्यक्ष
   छत्तीसगढ विधानसभा
   दुरपा रोड, कोरबा (छ.ग.)

6. श्री गौरीशंकर अग्रवाल – सदस्य
   अध्यक्ष
   छत्तीसगढ़ राज्य खनिज निगम
   रायपुर (छ.ग.)

7. **डॉ. श्रीमती इन्दु अनंत** – सचिव
   कुलसचिव
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़,
   बिलासपुर (छ.ग.)

बैठक में सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया, तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु प्रस्तुत किया गया –

प्रस्ताव क्रं 1 विद्या परिषद् की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

निर्णय – विद्या परिषद द्वारा चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 02 अध्यादेश में विसंगति पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा अध्यादेश क्रं. 14 Master of Arts (M.A.) में विसंगति दूर करने संबंधी प्रस्ताव –

"A minimum of 36% of aggregate marks in **TMA** (Tutor Marked Assignments) and **TEE** (Term End Examination) will be necessary for a candidate to be successful in a course." में अध्यादेश की मूल भावना को ध्यान मे सिर्फ **Separately** शब्द जोड़ते हुये **"A minimum of 36% of aggregate marks in Separately TMA (Tutor Marked Assignments) and TEE (Term End Examination) will be necessary for a candidate to be successful in a course** मान्य किया गया।

कुलपति द्वारा इसी तरह की विसंगति अध्यादेश क्रं. 15 M.Sc.(Mathematics)/M.A. (Mathematics) मे होने की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया। विद्या परिषद् के द्वारा उक्त विसंगति को भी दूर करने का निर्णय लिया गया।

यह निर्णय आगामी प्रवेश सत्र एवं परीक्षा स्कीम में लागू होगा।

प्रस्ताव क्रं. 03 बी.पी.पी. के परीक्षा परिणाम जारी किये जाने पर विचार।

निर्णय : विद्या परिषद् द्वारा कुलपति एवम् कुलसचिव को छात्रहित में निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया गया।

बैठक के अंत में सम्माननीय सदस्य श्री गौरीशंकर अग्रवाल के द्वारा सुझाव दिया गया कि परिषद् का एजेन्डा बैठक के कम से कम 1 सप्ताह पूर्व सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जावें तथा बैठक का कार्यवृत्त सभी अनुपस्थित सदस्यों को भी उपलब्ध कराई जावें।

क्रमशः – 3

सम्माननीय सदस्य श्री बनवारीलाल अग्रवाल ने यह सुझाव दिया कि मुक्त विश्वविद्यालय के स्थापना संबधी मूल भावनाओं के अनुरूप तथा कार्यप्रणाली के संबंध में सेमीनार/वर्कशाप का आयोजन किया जावें तथा इस सेमीनार/वर्कशाप में इग्नू सहित अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों के विषय–विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जावें।

सम्माननीय सदस्य श्री हरीश केडिया एवं डॉ अशोक कुमार पारेख ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय रोजगारोन्मुखी तथा छात्रोपयोगी पाठयक्रम प्रारंभ करे।

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार प्रगट करते हुये बैठक समाप्त की गई।

(डॉ इन्दु अनंत)
कुलसचिव

(डॉ. ए.आर.चन्द्राकर)
कुलपति